समक्ष - जी.एस. सिंघवी और एम.एम. अग्रवाल, जे.जे.

हरियाणा राज्य, अपीलकर्ता

बनाम

बनी सिंह यादव, प्रतिवादी

L.P.A. No. 9 ऑफ़ 2002

22 नवम्बर 2004

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 226–पंजाब सरकार राष्ट्रीय आपातकाल (रियायत) नियम, 1965 (जैसा कि हरियाणा राज्य पर लागू है)–हरियाणा सरकार की अधिसूचना दिनांक 22 मार्च, 1976 और 9 अगस्त, 1976, 1965 नियमों के नियम 4(ii) और 2 में संशोधन–प्रतिवादी की क्लर्क के रूप में नियुक्ति 5 साल की सैन्य सेवा प्रदान करने के बाद - सैन्य सेवा का लाभ देने का दावा - नियमों में किए गए संशोधनों के मद्देनजर सरकार ने दावे को खारिज कर दिया - सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित नियम 4 (ii) और 2 को अधिकारातीत घोषित कर दिया और सैन्य सेवा का लाभ दिया - सरकार द्वारा सहायक की पदोन्नति के रूप में मान्य तिथि और प्रतिवादी को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देना - इस दलील पर बकाया वेतन देने से इनकार करना कि प्रतिवादी ने सहायक के पद पर काम नहीं किया है - 'काम नहीं तो वेतन नहीं' का नियम - क्या ऐसे मामले में लागू है - **अभिनिर्णित** - नहीं - सेवा में शामिल होने के तुरंत बाद प्रतिवादी द्वारा अभ्यावेदन देना - नियमों में संशोधन होने तक सरकार अभ्यावेदन को लंबित रखती है - सरकार अपनी गलती का फायदा नहीं उठा सकती - प्रतिवादी ने कभी

भी सहायक का पद पर काम करने में अनिच्छा नहीं दिखाई - प्रतिवादी को वेतन और भत्तों के बकाया का हकदार माना गया।

अभिनिर्णित - 'काम नहीं तो वेतन नहीं' का नियम आम तौर पर उस मामले में लागू होता है जिसमें कर्मचारी स्वेच्छा से काम से दूर रहता है, न कि उस मामले में जहां नियोक्ता के किसी सकारात्मक कार्य या चूक के कारण उसे काम करने से रोका जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो, 'नो वर्क नो पे' का नियम ऐसे मामले में लागू नहीं किया जा सकता है, जिसमें कर्मचारी को ड्यूटी से दूर रखा जाता है या नियोक्ता के किसी कार्य या चूक के कारण उसे किसी विशेष पद के कर्तव्यों का पालन करने से रोका जाता है या अयोग्य ठहराया जाता है। विद्वान न्यायाधीश ने यह घोषित करके कोई त्रुटि नहीं की कि अपीलकर्ता अपनी गलती का फायदा नहीं उठा सकता है और 6 सितंबर, 1985 के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें प्रतिवादी को 5 फरवरी, 1974 से 7 फरवरी 1979 तक से अवधि के लिए वेतन और भत्ते की बकाया राशि देने से इनकार कर दिया गया था।

(पैरा 9 एवं 19)

श्री जसवन्त सिंह, वरिष्ठ उप महाधिवक्ता, हरियाणा- अपीलकर्ता की ओर से ।

अमित जैन अधिवक्ता - प्रतिवादी की ओर से ।

निर्णय

जी.एस. सिंघवी, जे.

(1) यह अपील विद्वान न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 16 जुलाई, 2001 के आदेश के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके माध्यम से उन्होंने प्रतिवादी बनी सिंह यादव द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और उन्हें 5 फरवरी, 1974 से 7 फरवरी, 1979 तक की अवधि के लिए वेतन का बकाया भुगतान न करने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया और घोषणा की कि वह 5 फरवरी, 1974 से बकाया के हकदार होंगे।

(2) प्रतिवादी 26 अक्टूबर, 1962 को भारतीय सेना में शामिल हुआ। उसे 30 दिसंबर, 1967 को सेना से मुक्त कर दिया गया। एक वर्ष और 9 महीने के बाद, उसे आदेश दिनांक के अनुसार 22 सितंबर 1969, सिविल सचिवालय, हरियाणा में तदर्थ क्लर्क के रूप में नियुक्त किया गया । उनकी सेवाएं 25 जनवरी, 1973 से उस पद पर नियमित कर दी गईं। उन्हें 7 फरवरी, 1979 से सहायक के रूप में पदोन्नत किया गया। इस बीच, उन्होंने तदनुसार पंजाब सरकार राष्ट्रीय आपातकाल (रियायत) नियम, 1965 (जैसा कि हरियाणा राज्य पर लागू है - 31 अगस्त, 1976 के पत्र के माध्यम से) (संक्षेप में, नियम) के प्रावधानों के साथ, सैन्य सेवा का लाभ देने के लिए अभ्यावेदन दिया, हरियाणा सरकार की अधिसूचना दिनांक 22 मार्च, 1976 और 9 अगस्त, 1976 के माध्यम से, संबंधित प्राधिकारी ने उन्हें सूचित किया कि नियमों में किए गए संशोधनों के मद्देनजर उन्हें सैन्य सेवा का लाभ नहीं दिया जा सकता है । उन्होंने राज्य सरकार के फैसले को C.W.P. क्रमांक 5717 ऑफ़ 1976 में

चुनौती दी, जिसे इस न्यायालय ने 18 मार्च 1980 को ख़ारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय के आदेश को उच्चतम न्यायालय ने S.L.P क्रमांक 2550 ऑफ़ 1980 में उलट दिया था, जिसका निस्तारण 5 सितम्बर 1984 को इसी प्रकार के अन्य प्रकरणों के साथ कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य ने हरियाणा सरकार की अधिसूचना दिनांक 22 मार्च, 1976 और 9 अगस्त, 1976 द्वारा संशोधित नियमों के नियम 4(ii) और नियम 2 को संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर घोषित कर दिया और अपीलकर्ता को उनके द्वारा प्रदान की गई सैन्य सेवा को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठता तैयार करने का निर्देश दिया की रिट याचिकाकर्ता की सूची नए सिरे से बनाई जाए।

(3) उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के कथित अनुपालन में, हरियाणा सरकार ने, 24 जून, 1985 के अपने आदेश के तहत, प्रतिवादी को 5 साल और 2 दिन की सैन्य सेवा का लाभ दिया और पूर्व-दिनांकित क्लर्क के पद पर उनकी नियुक्ति 20 नवंबर 1967 से प्रभावी हुई किया । 29 जुलाई 1985 के एक अन्य आदेश के अनुसार, सहायक के पद पर उनकी पदोन्नति की तारीख 5 फरवरी, 1974 थी। इसके बाद, 6 सितंबर 1985 तारीख के आदेश के तहत, राज्य सरकार ने उन्हें सहायक के रूप में उनकी पदोन्नति की मानी गई तिथि, यानी 5 फरवरी, 1974 के आधार पर वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया, लेकिन 5 फरवरी, 1974 से 7 फरवरी 1979 तक की अवधि के लिए वेतन और भत्ते के बकाया को

इस आधार पर देने से इनकार कर दिया कि उन्होंने वास्तव में उस अवधि के दौरान सहायक के रूप में काम नहीं किया था ।

(4) प्रतिवादी ने C.W.P. No. 3601 of 1987 में 5 फरवरी 1974 से 7 फरवरी 1979 तक की अवधि के लिए वेतन और भत्तों के बकाया के इनकार की सीमा तक 6 सितंबर 1985 के आदेश को चुनौती दी। उन्होंने यह तर्क दिया कि सरकार 22 मार्च, 1976 और 9 अगस्त, 1976 के संशोधनों से पहले के नियमों के अनुसार उन्हें सैन्य सेवा का लाभ न देकर अपनी गलती का फायदा नहीं उठा सकती है।

(5) अपीलकर्ता ने यह कहते हुए रिट याचिका का विरोध किया कि याचिकाकर्ता (यहां प्रतिवादी) बकाया के लाभ का हकदार नहीं है क्योंकि उसने 5 फरवरी, 1974 से 7 फरवरी, 1979 तक सहायक के पद पर काम नहीं किया था।

(6) विद्वान एकल न्यायाधीश ने **चरण दास बनाम पंजाब राज्य**[1] में इस न्यायालय के पहले के फैसले पर भरोसा किया और माना कि सरकार पहले रिट याचिकाकर्ता (यहां प्रतिवादी) को सेना में उसके द्वारा की गई सेवा को ध्यान में रखकर पदोन्नति न देकर और फिर उसे पदोन्नति की मानी गई तारीख से वेतन और भत्ते देने से इनकार करके अपनी गलती का फायदा नहीं उठा सकती है ।

[1] 1980(3) S.L.R. 702

(7) विद्वान वरिष्ठ उप महाधिवक्ता श्री जसवन्त सिंह ने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि क्लर्क के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत बाद, प्रतिवादी ने सैन्य सेवा का लाभ देने के लिए प्रतिनिधित्व किया था और मामले को नियम 4 और 2 के संशोधन(हरियाणा सरकार की अधिसूचना दिनांक 22 मार्च, 1976 और 9 अगस्त, 1976 के माध्यम से) तक लंबित रखा गया था और फिर संशोधित प्रावधानों पर भरोसा करते हुए उनके दावे को खारिज कर दिया गया। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 5 सितंबर, 1984 के अनुपालन में क्लर्क के पद पर प्रतिवादी की नियुक्ति 22 सितंबर, 1969 से 20 नवंबर, 1967 तक पूर्व-दिनांकित थी और सहायक के पद पर उनकी पदोन्नति दिनांक 7 फरवरी, 1979 से 5 फरवरी, 1974 तक उन्हें सैन्य सेवा का लाभ देकर पूर्व-दिनांकित थी, लेकिन तर्क दिया गया कि वह वेतन और भत्ते के बकाया के हकदार नहीं हैं क्योंकि उन्होंने 5 फरवरी, 1974 से 7 फरवरी, 1979 तक सहायक के पद पर काम नहीं किया था और विद्वान न्यायाधीश ने 'काम नहीं तो वेतन नहीं' के सिद्धांत की अनदेखी करते हुए प्रतिवादी को 5 फरवरी 1974 से बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश देकर एक गंभीर त्रुटि की।

(8) प्रतिवादी के विद्वान वकील श्री अमित जैन ने तर्क दिया कि विद्वान न्यायाधीश ने अपीलकर्ता को 5 फरवरी 1974 से प्रतिवादी को बकाया वेतन और भत्ते का भुगतान करने का निर्देश देकर कोई त्रुटि नहीं की क्योंकि अपीलकर्ता ने अवैध रूप से प्रतिवादी को सैन्य

सेवा के लाभ के से वंचित कर दिया था। । श्री जैन ने **सुदर्शन कुमार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य**[2] , **अवतार सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य**[3] **, विजय कुमार वर्मा बनाम हरियाणा राज्य और अन्य**[4], **हिम्मत सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य**[5] **और राम पाल बनाम हरियाणा राज्य**[6] में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया और तर्क दिया कि 'काम नहीं तो वेतन नहीं' का सिद्धांत प्रतिवादी के मामले में लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने कभी भी सहायक के पद पर काम करने की अनिच्छा नहीं दिखाई थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यदि प्रतिवादी को नियत तिथि पर सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया होता, तो वह तुरंत उस पद पर शामिल हो जाता और कर्तव्यों का निर्वहन करता। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि सरकार पहले तो प्रतिवादी को उसकी सैन्य सेवा को ध्यान में रखते हुए नियत तिथि से पदोन्नति न देकर और फिर 'काम नहीं तो वेतन नहीं' के सिद्धांत को लागू करके बकाया वेतन देने से इनकार करके अपनी गलती का फायदा नहीं उठा सकती।

(9) हमने संबंधित तर्कों पर गंभीरता से विचार किया है। काम नहीं तो वेतन नहीं का नियम आम तौर पर उस मामले में लागू होता है जिसमें कर्मचारी स्वेच्छा से काम से दूर रहता है, न कि उस मामले में जहां नियोक्ता के किसी सकारात्मक कार्य या चूक के कारण उसे काम करने से रोका जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो, 'नो वर्क नो पे' का नियम ऐसे मामले में

---

[2] 1997(2) R.S.J. 416
[3] 1998(1) R.S.J. 317
[4] 2002(3) R.S.J. 694
[5] 2003(2) R.S.J. 309
[6] 2003(3) R.S.J. 248

लागू नहीं किया जा सकता है, जिसमें कर्मचारी को ड्यूटी से दूर रखा जाता है या नियोक्ता के किसी कार्य या चूक के कारण उसे किसी विशेष पद के कर्तव्यों का पालन करने से रोका जाता है या अयोग्य ठहराया जाता है।

(10) उपरोक्त सिद्धांत की प्रयोज्यता पर केरल उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा **अलाप्पट नारायण मेनन बनाम केरल राज्य**[7] में विचार किया गया था। इलाहाबाद, गुजरात और मैसूर उच्च न्यायालयों के निर्णयों पर ध्यान देने के बाद, वी. खालिद, जे, (जैसा कि उस समय उनका आधिपत्य था) ने निम्नलिखित प्रस्ताव रखे: -

> "सरकार अपनी शक्ति के अवैध प्रयोग में उनके द्वारा की गई गलती या उनके द्वारा पारित आदेश का लाभ नहीं उठा सकती है।"
>
> “एक सरकारी कर्मचारी के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उसने बकाया वेतन का दावा खो दिया है, जब उसे बिना किसी गलती के उचित पदोन्नति नहीं मिली। सरकार की यह दलील कि याचिकाकर्ता को केवल काल्पनिक पदोन्नति दी गई थी, कानून में टिकाऊ नहीं है। याचिकाकर्ता को जो मिला वह पदोन्नति नहीं थी और इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के संदर्भ में इस पदोन्नति को 'नोशनल' कहना गलत है। इस मामले में काल्पनिक पदोन्नति की अवधारणा चर्चा के दायरे में नहीं आ सकती। काल्पनिक पदोन्नति वह है जो एक सरकारी कर्मचारी

[7] 1977(2) S.L.R. 657

को विशेष परिस्थितियों में मिलती है, जिसे वह अपना अधिकार मानता है। यहां याचिकाकर्ता 1 अप्रैल, 1955 से अपनी पदोन्नति पाने के अधिकार के रूप में हकदार है और इसलिए उसके बकाया वेतन और अन्य भौतिक लाभ के दावे को इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि उसे जो दिया गया था वह केवल एक काल्पनिक पदोन्नति थी और सरकार की नीति ऐसे मामलों में बकाया वेतन देने की नहीं है।"

(11) **राजप्पन नायर बनाम केरल राज्य**[8] में केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने निम्नलिखित शब्दों में यही दृष्टिकोण दोहराया था: -

"अक्सर ऐसा होता है कि एक सरकारी कर्मचारी को उसकी उचित पदोन्नति उस तारीख पर नहीं मिलती है जो उसे मिलनी चाहिए थी, लेकिन बाद में उसे पिछली तारीख से पूर्वव्यापी प्रभाव से दी जाती है। यदि किसी सरकारी कर्मचारी की बिना किसी गलती के उसकी पदोन्नति में देरी हो जाती है और वह उसे बाद में उस तारीख से पूर्वव्यापी प्रभाव से दी जाती है जिस तारीख को वह दी गई थी, तो सरकारी कर्मचारी स्वाभाविक रूप से उन लाभों की बहाली का हकदार है जो उसने उसके आचरण के लेखे-जोखे की वजह से नहीं खोए हैं । यह बिल्कुल उचित है कि सरकार उसे वेतन या अन्य परिलब्धियों के रूप में खोई हुई सारी रकम लौटा दे।

[8] 1984 KLT 141

यह हमारे विद्वान भाई खालिद जे. द्वारा नारायण मेनन बनाम केरल राज्य, 1978 K.L.T 29 मामले में कहा गया सिद्धांत है, एक सिद्धांत जिसके संबंध में हम यह नहीं देख सके कि कोई अपवाद कैसे लिया जा सकता है, क्योंकि इस प्रश्न पर हमारे विद्वान भाई द्वारा विस्तृत रूप से विचार किया गया है जिसके साथ हम सम्मानपूर्वक सहमत हैं, हमें नहीं लगता कि हमें इसमें और आगे जाना चाहिए।

(12) **फिलोमिना बनाम केरल राज्य**[9] में, केरल उच्च न्यायालय की एक अन्य खंडपीठ ने निम्नानुसार कहा: -

"उन मामलों के बीच अंतर किया जाना चाहिए जहां किसी व्यक्ति को गैरकानूनी आदेश के परिणामस्वरूप काम करने से रोका गया या इनकार किया गया या उसके सही स्थान से वंचित किया गया, जिसकी अवैधता एक सक्षम अदालत द्वारा घोषित की गई थी या स्पष्ट रूप से प्रकट है और स्वेच्छा से स्वीकार की गई है एक ओर नियोक्ता, और दूसरी ओर सद्भावना या निर्दोष त्रुटियों के मामले, जिसका अर्थ है नियोक्ता द्वारा अनुचित और जानबूझकर या दुर्भावनापूर्ण रूप से की गई त्रुटियां। (लॉर्ड डेनिंग एम. आर. द्वारा एजुकेशन सेक. बनाम टैमसाइड (1976) 3 WLR 641 652-653) में बताए गए सिद्धांत को देखें। पूर्व मामले में, अवैधता की घोषणा या स्वीकारोक्ति, दी गई परिस्थितियों में सेवा में रुकावट या अपमानजनक

[9] 1984 KLT 59

कार्य को पूरी तरह से मिटा सकती है जैसे कि यह कभी हुआ ही नहीं, और कर्मचारी सेवा के पूर्ण लाभों का हकदार हो सकता है कानून में यह माना जाता है कि उसने उस ग्रेड में निर्बाध रूप से काम किया है जिसमें वह शामिल होने का हकदार था, लेकिन बाद में ऐसा नहीं है जहां अधिकार क्षेत्र के भीतर किए गए अन्यथा वैध आदेश में एक वास्तविक त्रुटि या चूक को बाद में ठीक किया जाता है।

(13) **चरण दास बनाम पंजाब राज्य और अन्य(supra)** में , इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने पूर्वव्यापी पदोन्नति के मामलों में 'काम नहीं तो वेतन नहीं' के सिद्धांत को लागू करने से इनकार कर दिया और कहा: -

“एक बार जब किसी कर्मचारी को पूर्वव्यापी तिथि से पदोन्नत किया जाता है, तो उसे उस वेतन और अन्य लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता है जिसके लिए वह हकदार होता यदि उसे वास्तव में उस तिथि पर उक्त पद पर पदोन्नत किया जाता जिस दिन उसे बाद में पदोन्नत किया गया था। इस आशय की कोई भी शर्त लगाई गई कि उक्त कर्मचारी पदोन्नति के परिणामस्वरूप वेतन और भत्ते का हकदार नहीं होगा, जैसा कि इस मामले में आक्षेपित आदेश के पैराग्राफ 2 में लगाया गया है । यह आदेश अवैध होगा । इसका कारण यह है कि सरकार द्वारा ऐसे किसी कर्मचारी को उस तारीख पर पदोन्नत न करना जिस तारीख को वह पदोन्नत होने का हकदार था, उसे पदोन्नत न करने में अपने स्वयं के गलत या

अवैध आदेश का लाभ नहीं उठा सकता है और फिर पूर्वव्यापी प्रभाव से पदोन्नति के लिए कर्मचारी के दावे को स्वीकार करते समय वह उसे रोक नहीं सकता है वेतन और भत्ते के मामले में ऐसी पदोन्नति के कारण उक्त कर्मचारी को देय है।"

(14) **सुदर्शन कुमार बनाम हरियाणा राज्य** (supra) में, इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच ने माना कि अपीलकर्ता जिसे आपराधिक मामला लंबित होने के कारण नियत तारीख पर पदोन्नत नहीं किया गया था और बाद में पूर्वव्यापी प्रभाव से पदोन्नत किया गया था, वह मौद्रिक लाभ का हकदार है। डिवीजन बेंच द्वारा निर्धारित कानून का प्रस्ताव इस प्रकार है: -

"यह स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ता ने कभी भी उच्च पद पर काम करने से इनकार नहीं किया है। यदि उन्होंने इस तथ्य के बावजूद कि उनकी पदोन्नति और पोस्टिंग आदेश जारी कर दिए गए थे, उच्च पद पर काम करने से इनकार कर दिया होता, तो उत्तरदाताओं के लिए यह तर्क देना संभव हो सकता था कि याचिकाकर्ता पदोन्नत होने पर वेतन के अंतर में बकाया राशि पाने का हकदार नहीं था। यदि मुकदमे के लंबित होने के कारण याचिकाकर्ता को नियत तिथि से पदोन्नति नहीं दी गई, जिससे वह उच्च पद पर काम करने के अधिकार से वंचित हो गया, तो उसे बकाया वेतन से वंचित नहीं किया जा सकता। वर्तमान मामले जैसे मामले में जहां मुकदमा लंबित होने के कारण पदोन्नति से इनकार कर दिया गया था और पूर्वव्यापी पदोन्नति दी गई है, तो कर्मचारी वेतन के बकाया का

हकदार होगा। ऐसी स्थिति में यदि किसी कर्मचारी को पूर्वव्यापी तिथि से पदोन्नत किया जाता है, तो उसे सामान्य रूप से उच्च पद पर काम किया हुआ माना जाना चाहिए और वह बकाया वेतन के भुगतान का हकदार होगा।"

(15) **विद्या प्रकाश हरनाल बनाम हरियाणा राज्य**[10] में , इस न्यायालय की एक अन्य डिवीजन बेंच ने निम्नानुसार कहा: -

"इसी प्रकार, यह तर्क कि याचिकाकर्ता 'काम नहीं तो वेतन नहीं' के सिद्धांत पर परिलब्धियां देने का हकदार नहीं था, कानून की गलत धारणाओं के आधार पर स्पष्ट रूप से गलत है। यदि किसी सिविल सेवक को वह काम नहीं दिया जाता है जिसके लिए वह कानूनी रूप से हकदार है, तो उसे उस पद के वेतन से वंचित नहीं किया जा सकता है जिसके लिए वह बाद में हकदार माना जाता है। इस तरह के पाठ्यक्रम को अपनाने की अनुमति देना दोहरे दंड लगाने को प्रोत्साहित करना होगा, यह सबसे पहले सिविल सेवक को पदोन्नति के अधिकार से वंचित करना और दूसरा उसे उन परिलब्धियों से वंचित करना जिसके लिए वह पदोन्नति पर हकदार होता, जो बाद में है उनके पक्ष में माना गया । जिस पद पर एक सिविल सेवक पदोन्नति का हकदार है, उसके विरूद्ध काम करने से वंचित करना या ऐसे सिविल सेवक को उन परिलब्धियों से वंचित करना, जिनके लिए वह हकदार था,

[10] 1995(3) S.C.T. 785

यदि उसे पदोन्नत किया गया हो , हमेशा राज्य के जोखिम और जिम्मेदारी पर होता है और इसे आधार नहीं बनाया जा सकता है । उस समय के नियमों के अनुसार जब वह इस तरह की पदोन्नति के लिए पात्र हो गया। अदालतें उन कष्टों और दर्द की भयावहता को नजरअंदाज नहीं कर सकती हैं जो एक सिविल सेवक को मौद्रिक लाभ से वंचित होने के कारण झेलना पड़ता है, खासकर आसमान छूती कीमतों और आजीविका की आवश्यकताओं की अनुपलब्धता के इस युग में। अदालत अपनी आंखें बंद करके याचिकाकर्ता और उसके आश्रितों की आर्थिक तंगी को नहीं भूल सकती। इस तरह के अभाव से आश्रितों का करियर ख़राब हो सकता है, समाज ऐसे युवाओं की सेवाओं से वंचित हो सकता है और एक बार संतुष्ट होने के बाद कि एक सिविल सेवक पूर्वव्यापी प्रभाव से पदोन्नति का हकदार था, वैध, ठोस और विशिष्ट कारण बताए बिना प्रारंभिक तिथि से उसे वेतन के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। । इस मामले में लागू किया गया आदेश, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता/अपीलकर्ता को बकाया वेतन का दावा करने के अधिकार से वंचित किया गया था, बिना किसी औचित्य या ठोस और विशिष्ट कारण बताए अस्पष्ट है।"

(16) उपरोक्त निर्णयों का **अवतार सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य** (supra) में पालन किया गया है**; विजय कुमार वर्मा बनाम हरियाणा राज्य और अन्य** (supra); **हिम्मत सिंह**

बनाम पंजाब राज्य और अन्य (supra); और **राम पाल बनाम हरियाणा राज्य** (supra) और याचिकाकर्ताओं को पदोन्नति की मानी गई तारीख से मौद्रिक लाभ देने के लिए उत्तरदाताओं को निर्देश जारी किए गए थे।

(17) C.W.P. संख्या 3709 ऑफ़ 1998 **दया नंद बनाम हरियाणा राज्य और अन्य** 30 जुलाई, 1998 को इस न्यायालय की एक अन्य खंडपीठ ने, जिसमें हम में से एक (जी.एस. सिंघवी, जे.) सदस्य थे, पारित आदेशों का उल्लेख किया -) C.W.P. संख्या 648 ऑफ़ 1985 - **परशादी लाल बनाम हरियाणा राज्य और अन्य,** 12 जुलाई, 1993 को निर्णय लिया गया; C.W.P. संख्या 16207 ऑफ़ 1995, निर्णय 12 दिसम्बर 1996; C.W.P. संख्या 13788 ऑफ़ 1996 , निर्णय 5 फरवरी 1997; **श्रीमती आशा रानी लांबा बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य**[11], C.W.P. संख्या 245 ऑफ़ 1996 -**नर सिंह बनाम राज्य**, 9 अप्रैल 1996 को निर्णय; C.W.P. संख्या 17274 ऑफ़ 1995 - **मम राज बनाम हरियाणा राज्य**, 14 मई, 1996 को निर्णय, C.W.P. संख्या 1234 ऑफ़ 1996 निर्णय 10 दिसम्बर 1996; C.W.P. संख्या 15385 ऑफ़ 1997- **बी.आर. शर्मा बनाम हरियाणा राज्य और अन्य**, 6 जनवरी 1998 को निर्णय, C.W.P. संख्या 10773 ऑफ़ 1997 **सतनाम सिंह बनाम पंजाब राज्य**, 3 फरवरी, 1988 को निर्णय दिया गया और साथ ही **विद्या प्रकाश हरनाल बनाम हरियाणा राज्य** (supra) और

[11] 1983(1) S.L.R. 400

अवतार सिंह बनाम हरियाणा राज्य (supra) में निर्णय दिए गए और निम्नलिखित प्रस्ताव रखा गया :–

> "काम नहीं तो वेतन नहीं का सिद्धांत नियोक्ता द्वारा केवल उन मामलों में कर्मचारी को वेतन देने या भुगतान करने से इनकार करने के लिए लागू किया जा सकता है, जिसमें कर्मचारी स्वेच्छा से उसे सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करने से बचता है। इसे उन मामलों में लागू नहीं किया जा सकता है जिनमें नियोक्ता के किसी कार्य या चूक के कारण कर्मचारी को ड्यूटी से दूर रखा जाता है या किसी विशेष पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोका जाता है या अयोग्य ठहराया जाता है।

(18) **भारत संघ बनाम के. वी. जानकीरमन**[12] में, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की इस दलील को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया कि पूर्वव्यापी पदोन्नति के सभी मामलों में काम नहीं तो वेतन नहीं का सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए और कहा गया:-

> "हम अधिकारियों की ओर से दिए गए तर्कों से बहुत प्रभावित नहीं हैं। काम नहीं तो वेतन नहीं का सामान्य नियम मौजूदा मामले में लागू नहीं होता है, जहां कर्मचारी काम करने के इच्छुक होने के बावजूद अधिकारियों द्वारा बिना किसी गलती के काम से दूर रखा जाता है, यह ऐसा मामला नहीं है जहां कर्मचारी अपने

[12] AIR 1991 S.C. 2010

स्वयं के कारणों से काम करें, हालाँकि काम उसे दिया जाता है काम से दूर रहता है।"

(19) उपरोक्त उल्लिखित निर्णयों और आदेशों के अनुपात को इस मामले के तथ्यों पर लागू करके, हम मानते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह घोषित करके और दिनांकित 6 सितंबर, 1985 आदेश को 5 फरवरी, 1974 से 7 फरवरी, 1979 तक की अवधि के लिए प्रतिवादी को वेतन और भत्ते की बकाया राशि देने से इनकार करने की सीमा तक रद्द करके कोई त्रुटि नहीं की है कि अपीलकर्ता अपनी गलती का लाभ नहीं उठा सकता है।

(20) परिणामस्वरूप, अपील खारिज कर दी जाती है। 8 जनवरी 2002 का अंतरिम आदेश निरस्त किया जाता है। अपीलकर्ता को आज से 3 महीने की अवधि के भीतर प्रतिवादी को देय बकाया जारी करने का निर्देश दिया जाता है, ऐसा न करने पर वह इस आदेश की तारीख से 9% की दर से ब्याज देने का हकदार होगा।

(21) अत्यावश्यक आवेदन हेतु निर्धारित शुल्क के भुगतान पर आदेश की प्रति दस्ती दी जायेगी।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रितिज़ अरोड़ा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(TRAINEE JUDICIAL OFFICER)